


राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

श्री के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सेठगुप्ता व भू अभिलेख निरीक्षक चोराभा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-जस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बण्डु पटवार हल्का सेठगुप्ता हसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2026-27 में खाता संख्या 76 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>बण्डु</u> <u>बलिया</u> <u>रेखा</u>	<u>200</u> <u>76</u>	<u>भगवान सिंह पुत्र</u> <u>मैरु सिंह रायपुर</u>	<u>भगवान सिंह पुत्र</u> <u>मैरु सिंह रायपुर</u>


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2024/ 279

दिनांक:- 13-08-2024

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मैरु सिंह रायपुर w/o भगवान सिंह रायपुर नि. बण्डु


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा